

न्यायालय-अमनदीपसिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.कं.-1039 / 2004

संस्थित दिनांक-23.08.99

फा.नंबर 234503000141999

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा थाना बिरसा,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - **अभियोजन**// **विरुद्ध** //

राकेश कुमार पिता एम0एल0 भारिल, उम्र-38 वर्ष,
 निवासी-वार्ड नंबर-05 वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - **आरोपी**// **निर्णय** //**(आज दिनांक-22/07/2017 को घोषित)**

01- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409, 466 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-24.06.96 से ग्राम डाबरी में कन्या आश्रम भवन निर्माण की राशि 92,640, दिनांक 24.06.96 से ग्राम मुरकुट्टा में बालक आश्रम भवन निर्माण की राशि 40,060/-, दिनांक 25.03.95 से प्राथमिक शाला भवन, जैतपुरी की राशि 54,100/-, दिनांक 01.06.95 से प्राथमिक शाला भवन, लफरा की राशि 85,000/-, दिनांक 25.03.95 से प्राथमिक शाला, भवन चौरिया की राशि 47,800/-, दिनांक 10.06.96 से प्राथमिक शाला भवन, झकोरदा की राशि 22,973/- कुल राशि 3,44,573/- रुपये जो कि उसे लोक सेवक उपयंत्री के नाते कुल राशि 6, 26, 973/- रुपये के रूप में भवन निर्माण हेतु सौंपी गई थी, जिसमें उसने वास्तविक रूप से 2, 82,400/- रुपये का निर्माण कार्य कराया तथा बकाया राशि 3,44,573/- रुपये उस पर राशि न्यस्त होते हुए उसने वह राशि शासन को नहीं लौटाई तथा बेईमानीपूर्वक उस राशि का जानबूझकर अपने उपयोग में लेकर आपराधिक न्यास भंग किया तथा उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर माह फरवरी एवं मार्च, 95 में भवन निर्माण प्रारंभ करने पर माप पंजी तथा मजदूरी भुगतान पंजी आदि लोक दस्तावेजों में लोक सेवक के नाते अपने पास रखे गये दस्तावेजों में शासन को क्षति पहुँचाने के आशय से कूट रचना कर निर्माण हेतु अग्रिम भुगतान प्राप्त किया।

02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि आरोपी को विकासखंड

बिरसा में पदस्थापना के दौरान एकीकृत आदिम जाति विकास परियोजना एवं सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के निर्माण हेतु अग्रिम के रूप में 6,26,973/-रुपये दिये गये थे, परन्तु उसके द्वारा संतोषप्रद कार्य न कर 3,44,573/-रुपये का गबन कर लिया गया। विभागीय जांच उपरांत लिखित शिकायत प्राप्त होने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। दौरान विवेचना दस्तावेज जप्त कर गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना उपरांत अपराध पाये जाने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409, 466 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 द.प्र.सं. के तहत किए गये अभियुक्त परीक्षण में उसकी अनुपस्थिति में किये गये मूल्यांकन को अस्वीकार कर स्वयं को निर्दोष व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-24.06.96 से ग्राम डाबरी में कन्या आश्रम भवन निर्माण की राशि 92,640, दिनांक 24.06.96 से ग्राम मुरकुट्टा में बालक आश्रम भवन निर्माण की राशि 40,060/-, दिनांक 25.03.95 से प्राथमिक शाला भवन, जैतपुरी की राशि 54,100/-, दिनांक 01.06.95 से प्राथमिक शाला भवन, लफरा की राशि 85,000/-, दिनांक 25.03.95 से प्राथमिक शाला, भवन चौरिया की राशि 47,800/-, दिनांक 10.06.96 से प्राथमिक शाला भवन, झकोरदा की राशि 22,973/- कुल राशि 3,44,573/- रुपये जो कि उसे लोक सेवक उपयंत्री के नाते कुल राशि 6, 26, 973/- रुपये के रूप में भवन निर्माण हेतु सौंपी गई थी, जिसमें उसने वास्तविक रूप से 2, 82,400/- रुपये का निर्माण कार्य कराया तथा बकाया राशि 3,44,573/- रुपये उस पर राशि न्यस्त होते हुए उसने वह राशि शासन को नहीं लौटाई तथा बेईमानीपूर्वक उस राशि का जानबूझकर अपने उपयोग में लेकर आपराधिक न्यास भंग किया ?

2. क्या आरोपी ने तथा उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर माह फरवरी एवं मार्च, 95 में भवन निर्माण प्रारंभ करने पर माप पंजी तथा मजदूरी भुगतान

पंजी आदि लोक दस्तावेजों में लोक सेवक के नाते अपने पास रखे गये दस्तावेजों में शासन को क्षति पहुँचाने के आशय से कूट रचना कर निर्माण हेतु अग्रिम भुगतान प्राप्त किया ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 व 2 का निष्कर्ष:-

05— साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के आशय से दोनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

06— साक्षी पी0एस0 एल्मा अ.सा.05 ने कथन किया है कि वह दिनांक 14.10.1997 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिरसा के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा कार्यालय के पत्र क्रमांक 755/97 के माध्यम से थाना प्रभारी बिरसा को प्र.पी.05 का पत्र लेख किया गया था, जिसमें आर.के. भारील उपयंत्री कार्यालय विकासखण्ड बिरसा में दिनांक 25.07.1994 से 17.04.1997 तक कार्यरत होने एवं ऑडिट रिपोर्ट की मूल प्रति जो आर्टिकल बी-1 है, जो कुल 23 पृष्ठों की थी, उसके द्वारा प्र.पी.05 के पत्र के माध्यम से दी गई थी। तत्कालीन टी.एच.टी आचार्या अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग के द्वारा हस्ताक्षरित जांच प्रतिवेदन थाना बिरसा को प्रेषित किया गया था, जो उसे अधीनस्थ अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। आरोपी ने 06 निर्माण कार्यों में दी गई राशि में से लगभग 3,44,000/- रुपये की राशि को शासन को वापस नहीं किया था। उक्त जानकारी अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर बता रहा है। दिनांक 14.10.1997 को उसके द्वारा थाना प्रभारी बिरसा को कार्यालय के पत्र क्रमांक 766/97, जो प्र.पी.06 है, लेख कर जारी किया गया है। प्र.पी.05 एवं 06 के ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्र.पी.06 के माध्यम से दिनांक डलवाना संभव नहीं की जानकारी थाना प्रभारी को दी गई थी।

07— प्रतिपरीक्षण में साक्षी पी0एस0 एल्मा अ.सा.05 के कथन हैं कि वह किस दिनांक से किस दिनांक तक जनपद पंचायत बिरसा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर पदस्थ था, आज उसे ध्यान नहीं है, परन्तु आरोपी की बिरसा में पदस्थापना के दौरान वह पदस्थ नहीं था। आरोपी द्वारा करवाये गये निर्माण कार्य के लिये विकासखण्ड अधिकारी बिरसा द्वारा राशि प्रदान की जाती थी। साक्षी ने अस्वीकार किया कि शासकीय निर्माण कार्यों में प्रथम किस्त की राशि के समायोजन से संतुष्ट

होने पर अगली किस्त हेतु एस.डी.ओ. राजस्व की स्वीकृति प्राप्त होने की प्रक्रिया है। साक्षी के अनुसार उक्त संबंध में विकासखंड अधिकारी को अधिकार है। साक्षी के अनुसार वर्तमान मामले में उपयंत्री को निर्माण कार्य हेतु राशि दिया जाना गलत है, क्योंकि निर्माण एजेंसी को राशि प्रदान की जानी थी। वह नहीं बता सकता कि उस समय निर्माण एजेंसी का अस्तित्व था या नहीं, परन्तु यह सही है कि निर्माण एजेंसी के अस्तित्व में न होने पर उपयंत्री से कार्य कराया जा सकता है। आर्टिकल बी की रिपोर्ट उसके प्रभार ग्रहण करने के पूर्व अथवा बाद में प्रस्तुत की गई थी उसे जानकारी नहीं है। प्र.पी.06 के ज्ञापन में दिनांक डलवाया जाना संभव नहीं लेख करने का कारण यह था कि पुरानी दिनांकों पर तैयार की गई रिपोर्ट पर प्र.पी.06 के पत्र के समय की दिनांक पर लेख करना उचित नहीं था। उक्त ज्ञापन जारी करने की दिनांक को श्री आचार्य उसके अधीनस्थ कार्यरत थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि सामान्यतः ऑडिट रिपोर्ट अथवा ज्ञापन जारी करते समय दिनांक का उल्लेख किया जाना चाहिए, परन्तु गोलमाल करने हेतु दिनांक उल्लेखित न किया जाना अस्वीकार किया।

08— साक्षी डॉ० जी०पी० विश्वकर्मा अ.सा.04 ने कथन किया है कि वह दिनांक 17.07.97 को विकासखण्ड अधिकारी बिरसा के पद पर कार्यवाहक प्रभारी के रूप में कार्य कर रहा था। आरोपी आर०के० भारील उपयंत्री विकासखण्ड बिरसा के पद पर कार्यरत थे। तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी बैहर जो कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत केन्द्र बिरसा के प्रभारी थे। आरोपी घटना के समय दक्षिण बैहर के कार्य जो ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कराये जाते थे, उपयंत्री के रूप में कार्य करा रहे थे, जो बिरसा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र थे। आरोपी को बिल्डिंग वर्क के लिए अग्रिम राशि दी जाती थी, उतनी राशि का काम होना नहीं पाया गया था, जिसके संबंध में उसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बैहर के पत्र क्रमांक 854 दिनांक 16.07.97 के निर्देश अनुसार मुद्रांकित आवेदन प्र.पी.02 दिया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त आवेदन पर पुलिस बिरसा के द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी.03 दर्ज किया गया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने टंकित आवेदन पत्र प्र.पी.02 के साथ चार सहपत्र दिया था, जिसमें क्रमांक 01 अपर कलेक्टर बालाघाट से प्राप्त पत्र की मूल प्रति क्रमांक 02 अनुविभागीय अधिकारी(रा) बैहर के निर्देश की छायाप्रति क्रमांक 03 अनुविभागीय अधिकारी

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की मूल्यांकन रिपोर्ट की मूलप्रति क्रमांक 04 पंचनामा समस्त कार्यों के मूल प्रतियों संलग्न किया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

09— साक्षी डॉ० जी०पी० विश्वकर्मा अ.सा.04 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि वह जब बी.डी.वो. का प्रभार लिया था, उस समय आरोपी कार्यरत था तथा आरोपी द्वारा किये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन या निरीक्षण उसने नहीं किया था। साक्षी के अनुसार उक्त कार्यों की मूल्यांक एस.डी.ओ. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ने किया था और निरीक्षण भी उन्होंने ही किया था। अनुविभागीय अधिकारी ने उसे रिपोर्ट दर्ज करने आदेशित किया था, उसकी मूल प्रति जनपत पंचायत बिरसा में होगी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से केवल रिपोर्ट करने आदेश प्राप्त हुआ था, जिसके पश्चात उसने एस.डी.ओ. आचार्य से संबंधित मूल्यांकन रिपोर्ट और पंचनामा प्राप्त कर प्र.पी.02 की रिपोर्ट तैयार की थी तथा उपरोक्त प्रपत्र संलग्न कर थाना प्रभारी बिरसा को प्रेषित की थी। प्र.पी.02 की रिपोर्ट में उल्लेखित निर्माण कार्यों का नाम मद राशियों का विवरण उसने एस.डी.ओ. आचार्य की मूल्यांकन रिपोर्ट और प्रतिवेदन के आधार पर लेख किया है तथा 3,44,573/- रुपये के गबन का तथ्य भी उसने उक्त प्रतिवेदन के आधार पर ही लेख किया था। उसने अपराध की जानकारी एस.डी.ओ. आचार्य के प्रतिवेदन के आधार पर लेख की थी और उसे अपराध के संबंध में सीधे तौर पर कोई जानकारी नहीं है। साक्षी के अनुसार आरोपी द्वारा किये गये निर्माण कार्यों की संपूर्ण जानकारी का विवरण तत्कालीन एस.डी.ओ. आचार्य ही दे सकते हैं।

10— साक्षी आर०एस० धुर्वे अ.सा.03 ने कथन किया है घटना उसके कथन देने की तिथि से 12-13 वर्ष पूर्व की है, उस समय आरोपी राकेश कुमार उपयंत्री, विकासखंड, बिरसा के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह भी उपयंत्री के पद पर विकासखंड बिरसा में पदस्थ था। उस समय उसका वेतन ग्रामीण यांत्रिकी उपसंभाग बैहर के अंतर्गत निकलता था। घटना के समय बिरसा ब्लॉक के अंतर्गत दक्षिण बैहर निर्माण कार्य उपयंत्री आर.के. भारील द्वारा कराया जा रहा था। तत्कालीन एस.डी.ओ., टी.एस.टी. आचार्य के साथ में दक्षिण बैहर बिरसा ब्लॉक में गया था, उस समय एस.डी.ओ. साहब के द्वारा ही जांच की गई थी, जब वह जांच में साथ में गया था, जिसमें आरोपी के द्वारा किये जाने वाले कार्य अपूर्ण थे। उक्त कार्यों को पूर्ण करवाने के लिए किसको आदेश हुआ था, उसे जानकारी नहीं है। उसे ध्यान नहीं है

कि आरोपी के द्वारा अपूर्ण किये गये कार्यों को पूर्ण कराने के लिए उसे आदेश हुआ था या नहीं। उसे आरोपी द्वारा अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने के लिए चार्ज नहीं दिया गया था। वह नहीं बता सकता कि घटना के संबंध में पुलिस ने उससे पूछताछ की थी या नहीं। वह जांच में एस.डी.ओ. के साथ गया था और पंचनामा में उसने भी अपने हस्ताक्षर किया था। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि कार्य में लापरवाही बरतने के कारण अप्रैल, 1997 में तत्कालीन कलेक्टर महोदय द्वारा आरोपी को निलंबित किया गया था। घटना के समय डाबरी कन्या आश्रम भवन, मुरकुटा बालक आश्रम भवन, जैतपुरी, लफरा, चोरिया तथा झकोरदा प्राथमिक शाला भवन सबका निर्माण कार्य अधूरा था। तत्कालीन एस.डी.ओ. श्री आचार्य द्वारा उक्त अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिये उसे आदेशित किया गया था तथा आरोपी को उनका चार्ज उसे देने के लिये निर्देशित किया गया था, जिसके उपरांत भी आरोपी द्वारा उसे मात्र माह पुस्तिका की चार्ज में दी गई थी। मौके पर कार्यस्थल पर जाकर कार्य एवं शेष मटेरियल का चार्ज उसे नहीं दिया गया था, जिसकी जानकारी उसके द्वारा लिखित रूप में विकासखंड अधिकारी एस.डी.ओ. एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को दी गई थी। एस.डी.ओ. आचार्य द्वारा निर्माण कार्य स्थलों में जाकर कार्य का मूल्यांकन कर वरिष्ठ अधिकारियों को उक्त जानकारी दी गई थी, उसके द्वारा माह पुस्तिका को जनपद एवं विकासखंड कार्यालय में जमा कर दिया गया था।

11— प्रतिपरीक्षण में साक्षी आर0एस0 धुर्वे अ.सा.03 के कथन है कि आरोपी की बिरसा में पदस्थापना के दौरान वह भी उसी कार्यालय में उपयंत्री के पद पर पदस्थ था और उसके प्रभार में दमोह क्षेत्र था। वर्ष 1997 में घटना के समय उसकी ड्यूटी जबलपुर में आये भूकंप के कार्यों में लगाई गई थी और उसने लगभग 15 दिन जबलपुर में कार्य किया था, परन्तु उसे ध्यान नहीं है कि उसकी जबलपुर ड्यूटी आरोपी के निलंबित होने के पूर्व अथवा पश्चात् में लगाई गई थी। आरोपी द्वारा करवाये जा रहे निर्माण कार्यों के प्रभार के संबंध में उसे व आरोपी को आदेश प्राप्त हुए थे तथा उसने आरोपी से माह पुस्तिका एम.बी. प्राप्त की थी। आरोपी के विरुद्ध उसके द्वारा की गई लिखित शिकायत के दस्तावेज प्रकरण में संलग्न नहीं है। साक्षी ने अस्वीकार किया कि एम.बी. सौंपते समय आरोपी ने उसे अन्य निर्माण कार्य की केस फाईल और सामग्री के संबंध में आवश्यक दस्तावेज सौंपे थे। उसे ध्यान नहीं है

कि एम.बी. सौंपते समय आरोपी ने उसे मौके पर चलकर मटेरियल का प्रभार लेने को कहा था, परन्तु जबलपुर में ड्यूटी लग जाने के कारण उसने प्रभार नहीं लिया। आरोपी द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों का मूल्यांकन करने आचार्य साहब के साथ वह भी गया था, परन्तु आरोपी वहाँ उपस्थित नहीं था और उसके अनुपस्थिति में आचार्य साहब ने कार्यों का मूल्यांकन किया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उपयंत्री के कार्यों के मूल्यांकन के समय संबंधित उपयंत्री का उपस्थित रहना आवश्यक रहता है, परन्तु वह नहीं बता सकता कि अनुपस्थिति में नियमानुसार मूल्यांकन नहीं किया गया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि मूल्यांकन के समय यदि आरोपी उपस्थित होता तो वह कार्यों की समीक्षा के संबंध में संतोषप्रद कारण बता सकता था।

12— साक्षी आर0एस0 धुर्वे अ.सा.03 के अनुसार उसने आरोपी द्वारा सौंपी गई माह पुस्तिका नहीं देखी थी और वह नहीं बता सकता कि उक्त एम.बी. कार्य, मौके पर रखी सामग्री तथा राशि का विवरण दर्ज है। साक्षी ने अस्वीकार किया कि आरोपी ने एम.बी. के अलावा उसे अन्य प्रभार, निर्माणाधीन भवनों की निर्माण कार्य की सामग्री का प्रभार सौंपा था। उसे ध्यान नहीं है कि उन्हें ग्राम झकोरदा के निर्माणाधीन भवन में स्टील तथा बीस बोरी कड़ा सीमेंट मिला था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे एम.बी. के विवरण पढ़ने का अवसर नहीं आया और ना ही उसने पढ़ना आवश्यक समझा और यदि एम.बी. में सभी विवरण दर्ज हो तो वह नहीं बता सकता। साक्षी के अनुसार वह तो सिर्फ पंचनामा बनाते समय उपस्थित था और प्रकरण की शेष कार्यवाही के संबंध में उसे कुछ मालूम नहीं है। घटना के समय उनके बी.डी.ओ. घनश्याल जांगड़े थे और तत्कालीन एस.डी.ओ. आचार्य उन दोनों उपयंत्रियों की जांच करते थे। उसे जानकारी नहीं है कि एस.डी.ओ. साहब निर्माण कार्यों में पैसे की मांग करते थे। साक्षी ने अस्वीकार किया कि आरोपी ने उसे बताया था कि आचार्य साहब अनाप-शनाब रुपयों की मांग करते हैं, जिसके कारण उनके और आरोपी के बीच मन-मुटाव हो गया था और उक्त दुर्भावनावश आचार्य साहब ने झूठा मूल्यांकन किया था। साक्षी ने अस्वीकार किया कि आरोपी के शेष बचे कार्यों को उसने पूर्ण कराया था और उक्त कार्यों में उसने तथा आचार्य साहब ने मिलकर राशि की अफरा-तफरी की थी, जिस कारण वह आज सच बात नहीं बता रहा है और उसकी अफरा-तफरी का दोषारोपण आरोपी के उपर कर दिया है।

13— साक्षी कृष्ण कुमार यादव अ.सा.01 का कथन है कि वह रोहित कुमार सोनी को जानता है। उसके समक्ष पुलिस थाना बिरसा द्वारा रोहित कुमार से कागजात जप्त किये गये थे जो प्र.पी.01 जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि वह कृषक है। उपरोक्त दस्तावेज जब पुलिसवालों ने जप्त किये थे, तब उन्होंने किस संबंध में जप्त कर रहे हैं, नहीं बताया था। वह पुलिस थाने जब अपने काम से गया था, तब वहाँ पर पुलिसवालों ने उसे बुलाकर प्र.पी.01 पर हस्ताक्षर कराये थे। साक्षी के अनुसार उन्होंने कहा था कि दस्तावेज जप्त कर रहे हैं इसलिये हस्ताक्षर कर दो। दस्तावेज की संख्या क्या थी वह उसे देखने नहीं मिला था। दस्तावेज में क्या-क्या प्रलेख थे वह भी उसे देखने नहीं मिला था। यह स्वीकार किया कि वह नहीं बता सकता कि प्र.पी.01 में जप्त दस्तावेज किस संबंध में जप्त किये गये थे। उसने प्र.पी.01 पर पुलिस के विश्वास के आधार पर हस्ताक्षर कर दिये थे। उसने हस्ताक्षर करते समय महेश भी वहाँ उपस्थित था। यह स्वीकार किया कि दस्तावेज जप्त करते समय रोहित कुमार सोनी थाने में उपस्थित नहीं था। जप्तशुदा दस्तावेज पुलिसवालों ने कहाँ से लाये थे वह नहीं बता सकता।

14— साक्षी महेश वरलानी अ.सा.02 का कथन है कि वह रोहित कुमार सोनी को जानता है। उसके समक्ष थाना बिरसा के पुलिसवालों द्वारा रोहित कुमार से कोई जप्ती नहीं की गई थी। जप्ती पत्रक प्र.पी.01 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अस्वीकार किया कि उसके समक्ष रोहित कुमार सोनी के द्वारा थाना बिरसा में पेश करने पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट, भारतीय स्टेट बैंक मलाजखंड, भारतीय स्टेट बैंक मोहगांव एवं अन्य बैंकों के चैक और दस्तावेज एवं चालू खाता के प्रलेख के पृष्ठ जप्ती पत्रक प्र.पी.01 के अनुसार क्रमांक 01 से 16 तक जो दर्शित किये गये थे, उसके समक्ष जप्त किये गये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वह बिरसा में ही रहता है तथा आर0के0 भाले उपयंत्री बिरसा के पद पर पदस्थ थे। यह अस्वीकार किया कि आरोपी से उसके अच्छे संबंध होने के कारण वह न्यायालय में रोहित कुमार सोनी से पुलिस के समक्ष दस्तावेज जप्त हुए थे, के बारे में झूठे कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी के कथन है कि घटना दिनांक को वह किसी से मिलने थाने गया था, तभी पुलिस ने प्र.पी.01 की जप्ती पत्रक में उसके हस्ताक्षर लिये थे और उसे प्रकरण के बारे में कोई

भी जानकारी नहीं है। साक्षी ने अस्वीकार किया कि वह उस समय पुलिस के बुलाने पर प्रकरणों में हस्ताक्षर कर देता था।

15— अभियुक्त पर आरोपित राशियों के न्यस्त होकर उनके दुर्विनियोग का आरोप है, जिस हेतु उसे संपत्ति या संपत्ति पर अख्त्यार न्यस्त किया जाता तथा उसके द्वारा उक्त अपराध हेतु सर्वप्रथम यह सिद्ध करना आवश्यक है कि अभियुक्त को कथित संपत्ति अथवा संपत्ति पर अख्त्यार न्यस्त किया गया था। संपूर्ण प्रकरण अभियोजन द्वारा अभियुक्त को संपत्ति न्यस्त किये जाने के संबंध में मौखिक औपचारिक कथन किये गये हैं। यह निश्चित विधि है कि रसीद के किसी साक्ष्य से असमर्थित लेखा-पुस्तकों का सबूत मात्र ही अभियुक्त पर आपराधिक न्यासभंग का अपराध अधिरोपित किये जाने के लिये पर्याप्त नहीं होता। वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त को राशि न्यस्त किये जाने के संबंध में लेशमात्र भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। प्रथमतः अभियोजन को लेखा पुस्तकों तथा अन्य दस्तावेजों से अभियुक्त को राशि न्यस्त किया जाना उचित रूप से प्रमाणित करना था। तत्पश्चात यह सिद्ध करना था कि अभियुक्त द्वारा न्यस्त संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लिया गया।

16— जहाँ तक दुर्विनियोग का प्रश्न है, संपूर्ण प्रकरण अंकेक्षणकर्ता टी.एस.टी. आचार्य की मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है। मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत कर देने मात्र से उसकी प्रमाणिकता सिद्ध नहीं हो जाती। उक्त मूल्यांकन रिपोर्ट की वैधानिकता भी संदिग्ध है क्योंकि साक्षी आर.एस. धुर्वे अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उक्त मूल्यांकन आरोपी की अनुपस्थिति में किया गया था, जो आवश्यक थी तथा वह उपस्थित रहने पर संतोषप्रद कारण बता सकता था। साक्षी ने स्वीकार किया कि वह मूल्यांकन के समय उपस्थित था, परन्तु वह नहीं बता सकता कि आरोपी की अनुपस्थिति में नियमानुसार मूल्यांकन किया गया अथवा नहीं। साक्षी के अनुसार वह किसी पंचनामा के समय उपस्थित था। प्रकरण की शेष कार्यवाही के संबंध में उसे जानकारी नहीं है। साक्षी पी.एस. एल्मा अ.सा.06 ने भी उक्त ऑडिट रिपोर्ट में तारीख न होना व्यक्त कर पश्चात में दिनांक डलवाना संभव नहीं होने के कथन किये। घटना के समय आरोपी उपयंत्री था। प्रथमतः कथित कार्यों के संबंध में उसकी जिम्मेदारी तथा राशि का न्यस्त सिद्ध किया जाना आवश्यक था। साक्षी पी.पी. विश्वकर्मा

अ.सा.04 ने भी अपराध के संबंध में सीधी जानकारी न होना व्यक्त कर एस.डी.ओ. आचार्य के प्रतिवेदन के आधार पर वरिष्ठ अधिकारी के आदेशानुसार लिखित रिपोर्ट तैयार करने के कथन किये हैं।

17— आरोपित अपराध का मूल तत्व बेईमानी से दुर्विनियोग या संपरिवर्तन है, जो सामान्यतः प्रत्यक्ष सबूत का विषय नहीं हो सकता तथापि सम्पत्ति का न्यस्तीकरण और इस बाध्यता का भंग करते हुए न्यस्त संपत्ति का लेखा—जोखा देने में असफल होना यदि साबित हो जाता है तो, अन्य परिस्थितियों को ध्याम में रखते हुए न्यायसंगत रूप से बेईमानी से दुर्विनियोग या संपरिवर्तन का अनुमान लगाया जा सकता है। आपराधिक न्यास भंग के अपराध के लिये किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध सभी मामलों में उसे न्यस्त संपत्ति का या उस संपत्ति का जिस पर उसका अख्तियार हो, लेखा—जोखा देने में मात्र उसके असफल रहने पर ही, यहाँ तक कि उस दशा में भी जब उस पर उसका लेखा—जोखा देने का कर्तव्य अधिरोपित किया गया है, आधारित नहीं हो सकती, लेकिन जहाँ वह उसका लेखा—जोखा देने में असमर्थ रहता है या लेखा—जोखा न दे पाने के लिये ऐसा स्पष्टीकरण देता है, जो गलत है तो बेईमान आशय सहित दुर्विनियोग का अनुमान सहन ही लगाया जा सकता है। प्रकरण में अभियुक्त को कथित संपत्ति न्यस्त किया जाना ही सिद्ध नहीं है और साथ ही दुर्विनियोग के संबंध में कोई उचित साक्ष्य नहीं है। इसी प्रकार कूट रचना के अपराध हेतु मिथ्या दस्तावेज बनाना अनिवार्य होता है, जिस हेतु यह आवश्यक है कि वह दस्तावेज इस आशय से निष्पादित किया जाना चाहिए कि उस पर विश्वास किया जाए। संपूर्ण प्रकरण में कथित दस्तावेजों के संबंध में लेशमात्र भी तथ्य उपलब्ध नहीं है और यह अभिकथित ही नहीं किया गया है कि अभियुक्त द्वारा किसी मिथ्या दस्तावेजों की रचना की गई।

18— फलतः अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक—24.06.96 से ग्राम डाबरी में कन्या आश्रम भवन निर्माण की राशि 92,640, दिनांक 24.06.96 से ग्राम मुरकुट्टा में बालक आश्रम भवन निर्माण की राशि 40,060/—, दिनांक 25.03.95 से प्राथमिक शाला भवन, जैतपुरी की राशि 54,100/—, दिनांक 01.06.95 से प्राथमिक शाला भवन, लफरा की राशि 85,000/—, दिनांक 25.03.95 से प्राथमिक शाला, भवन चौरिया की राशि 47,800/—, दिनांक

10.06.96 से प्राथमिक शाला भवन, झकोरदा की राशि 22,973/- कुल राशि 3,44,573/- रुपये जो कि उसे लोक सेवक उपयंत्री के नाते कुल राशि 6, 26, 973/- रुपये के रूप में भवन निर्माण हेतु सौंपी गई थी, जिसमें उसने वास्तविक रूप से 2, 82,400/- रुपये का निर्माण कार्य कराया तथा बकाया राशि 3,44,573/- रुपये उस पर राशि न्यस्त होते हुए उसने वह राशि शासन को नहीं लौटाई तथा बेईमानीपूर्वक उस राशि का जानबूझकर अपने उपयोग में लेकर आपराधिक न्यास भंग किया तथा उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर माह फरवरी एवं मार्च, 95 में भवन निर्माण प्रारंभ करने पर माप पंजी तथा मजदूरी भुगतान पंजी आदि लोक दस्तावेजों में लोक सेवक के नाते अपने पास रखे गये दस्तावेजों में शासन को क्षति पहुँचाने के आशय से कूट रचना कर निर्माण हेतु अग्रिम भुगतान प्राप्त किया था। फलतः अभियुक्त राकेश कुमार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409, 466 के अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

19— प्रकरण में जप्तशुदा दस्तावेज विधिवत् संबंधित विभाग (जनपद पंचायत बिरसा) को वापस किया जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावें।

20— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

21— अभियुक्त विवेचना या विचारण के दौरान दिनांक 12.01.98 से दिनांक 18.03.98 तक अभिरक्षा में रहा है, इस संबंध में धारा-428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

सही/-

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

सही/-

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट